352

संख्या– २१ /XV-2/03(57)/2004

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 16 जनवरी, 2015ः

**विषय– वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1206/रा0म0क0यो0/2014–15, दिनांक 07 जनवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग के पत्र संख्या–**12012/26/2009-Fy(WU),** दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 द्वारा 50 प्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित मछुआ कल्याण योजना में वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू0 19.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप राज्यांश रू0 19.35 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 38.70 लाख की धनराशि (रूपये अड़तिस लाख सत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, मत्स्य द्वारा करने के पश्चात आहरण एवं वितरण अधिकारियों सहित शासन को भी अवगत कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
3. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो समक्ष अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
5. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आगणनों का परीक्षण, कार्य करने से पूर्व, सक्षम स्तर से करा लिया जाय।
6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में भारत सकार द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार किया जाय तथा उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31–03–2015 तक शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उन्हीं मदों पर व्यय किया जायेगा जिस हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
9. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0103–राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– २1 (1)/XV-2/2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।